पटना समाहरणालय, पटना।
(आपदा प्रबंधन शाखा)
आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 62(सा०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 18.12.2012 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में **गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235–समाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01–पुनर्वास, लघु शीर्ष–200–अन्य राहत उपाय उपशीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय, विपत्र कोड एन० 2235012000003 मद में 2.00 लाख (दो लाख) रूपये** मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1228/आ०प्र० दिनांक 26.12.2012 से नजारत उप समाहर्त्ता, पटना एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को उपावंटित किया गया। पुनः अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1/प्रा०आ०–0–3–79/2012–68/आ०प्र० दिनांक 08.01.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में **गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235–समाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01–पुनर्वास, लघु शीर्ष–200–अन्य राहत उपाय उपशीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय, विपत्र कोड एन० 2235012000003 मद में 4.00 लाख (चार लाख) रूपये** मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2012–13 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>माँग संख्या – 39</u> <u>यूनिट कोड 31–06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा।</u>

(रूपया में)

क्रमांक	आवंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी	25000.00	35000.00	60000.00
02.	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर	5000.00	25000.00	30000.00
02.	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़	15000.00	35000.00	50000.00
03.	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी	15000.00	35000.00	50000.00
04.	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज	15000.00	35000.00	50000.00
05.	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर	25000.00	35000.00	60000:00
06.	नजारत उप समाहर्त्ता, पटना।	100000.00	200000.00	300000.00
	कुल :–	**200000.00**	**400000.00**	**600000.00**

1. उपावंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में **गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2235–समाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–01–पुनर्वास, लघु शीर्ष–200–अन्य राहत उपाय उपशीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय, विपत्र कोड एन० 2235012000003 मद में** उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. यह उपावंटन चालू वित्तीय वर्ष में शीतलहर से बचाव हेतु विभागीय पत्रांक 4942/आ०प्र० दिनांक 12.12.2012 से निर्गत दिशा–निर्देश, जिसका संसूचन इस कार्यालय के ज्ञापांक **1198**/आ०प्र० दिनांक **15-12-2012** द्वारा सभी संबंधित को किया गया है, के तहत जारी किया जा रहा है।
3. उपावंटित राशि का व्यय उसी मदं में किया जायेगा जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा अन्यथा इसके लिए

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप **शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी** एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

5. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561(बी० 2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **व्यय होने वाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षर में लाल स्याही से "8000–आकस्मिकता निधि" अंकित कराया जाय।** राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2013 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे अन्यथा इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-19/2012-13 33 /आ०प्र०, दिनांक 11.1.2013

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना/उप कोषागार पदाधिकारी, दानापुर/पटना सिटी/मसौढ़ी एवं बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 68/आ०प्र० दिनांक 08.01.2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।